

फा०सं० 10/06/2022-SEZ/

दिनांक : 12/01/2023

सेवा में,

(ई मेल के माध्यम से)

1. निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110001।
2. अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 'ए' विंग, इंद्रप्रस्थ भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली - 110002।
3. आयुक्त, सीमा शुल्क, नोएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय, इनलैंड कंटेनर डिपो, तिलपता, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201306.
4. प्रधान आयुक्त, आयकर, प्लॉट सं- ए-2 डी, आयकर भवन, सेक्टर - 24, नोएडा।
5. उपसचिव आई एफ - 1, बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर - 6, नोएडा (उत्तर प्रदेश)।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं 01, नॉलेज पार्क -4, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, (उत्तर प्रदेश)।
8. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, कलेक्ट्रेट के पास, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश)।
9. उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण, ओल्ड जी टी रोड, श्री आनंद वाटिका कॉलोनी, खुर्जा- 203131
10. संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता।

विषय: नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में श्री ए० बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में अनुमोदन समिति की दिनांक 05.01.2023 को पूर्वाह्न 11:45 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त - एतद संबंधी।

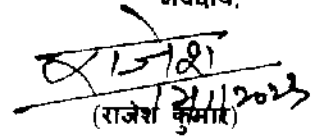
महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में श्री ए० बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में अनुमोदन समिति की 05/01/2023 को पूर्वाह्न 11:45 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

संलग्नक : उपरोक्त

प्रतिलिपि-

1. सम्बंधित निदिष्ट अधिकारी।

भवदीय,

(राजेश कुमार)
उप विकास आयुक्त

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

दिनांक 05.01.2023 को पूर्वाह्न 11:45 बजे श्री ए बिपिन मेनन विकास आयुक्त एनएसईजेड की अध्यक्षता में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में स्थित निजी एसईजेड के संबंध में अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

- i. श्री सुरेंद्र मलिक, जेडीसी, एनएसईजेड (NSEZ)।
 - ii. श्री सुनील कुमार, अधीक्षक (सीमा शुल्क), नोएडा।
 - iii. श्री सचिन जैन, सहायक आयुक्त उद्योग, डीआईसी, नोएडा
 - iv. श्री चमन लाल, सहायक डीजीएफटी, कार्यालय डीजीएफटी (DGFT), सीएलए, नई दिल्ली।
 - v. श्री नीरज कुमार, आयकर अधिकारी, नोएडा।
- इसके अलावा, बैठक के दौरान i) श्री राजेश कुमार, उप. विकास आयुक्त, ii). श्री अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, iii) श्री प्रकाश चंद उपाध्याय, सहायक विकास आयुक्त, iv) श्री एच के मीणा, सहायक विकास आयुक्त और; iv) श्री अनुज दीक्षित, यूडीसी, अनुमोदन समिति की सहायता के लिए भी उपस्थित थे। यह बताया गया कि गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।
- प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/ विकासक/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, जहां भी आवश्यक हो, निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

मद संख्या 1 दिनांक 01.12.2022 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:-

सुरेंद्र मलिक

01.12.2022 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के संबंध में अनुमोदन समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए, 01.12.2022 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया था।

मद क्रमांक 2. अधिकृत संचालन हेतु सामग्री सूची के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव:-

2.1: मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, डेवलपर

2.1.1 मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एसईजेड प्लॉट नंबर 3ए, 3बी और 2सी, सेक्टर-126, नोएडा (यूपी) में आईटी/आईटीईएस के विकासकर्ता ने अपने एसईजेड में डिफॉल्ट अधिकृत संचालन करने के लिए सामग्री की सूची के अनुमोदन के लिए उपरोक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया: -

क्रमांक	अधिकृत संचालन	निर्देश संख्या 50 और 54 के अनुसार अधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची में क्रम संख्या	अनुमानित लागत (Rs. लाख रुपये में)
i.	छिड़काव, आग और धूम संसूचक के साथ अग्नि सुरक्षा प्रणाली	07	56.79
ii.	बिजली (बिजली बैकअप सुविधाओं सहित) केवल स्वयं के उपयोग के लिए	23	118.87
iii.	प्रसंस्करण क्षेत्र में इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित सभी प्रकार के भवनों का निर्माण।	22	265.00
iv.	प्रसंस्करण क्षेत्र का वातानुकूलन	21	196.98
v.	इंटरनेट संयोजकता (Internet connectivity) सहित दूरसंचार और अन्य संचार सुविधाएं	05	187.38
vi.	अभिगम नियंत्रण और निगरानी प्रणाली	24	23.95
vii.	जल उपचार संयंत्र, जल आपूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, तूफानी जल नालियां और उपयुक्त क्षमता के जल चैनल	02	59.64
		कुल:	908.61

2.1.2 मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के एसोसिएट डायरेक्टर श्री डी के शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्तावित सामग्री की आवश्यकता के बारे में बताया।

सुरेंद्र मलिक

2.1.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से सामग्रियों की प्रस्तावित सूची को मंजूरी दे दी। अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2.2: मैसर्स अर्थ बिजनेस पार्क एलएलपी (सह-डेवलपर)

2.2.1 मैसर्स अर्थ बिजनेस पार्क एलएलपी, प्लॉट नंबर 21, सेक्टर-टेकजोन IV, ग्रेटर नोएडा (यूपी), में स्थित अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस एसईजेड के सह-डेवलपर उक्त एसईजेड में डिफॉल्ट अधिकृत संचालन के लिए सामग्री की सूची के अनुमोदन के लिए पूर्वोक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया: -

क्रमांक	अधिकृत संचालन	निर्देश संख्या 50 और 54 के अनुसार अधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची में क्रम संख्या	अनुमानित लागत (Rs. लाख रुपये में)
i.	प्रसंस्करण क्षेत्र में इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित सभी प्रकार के भवनों का निर्माण।	22	449.68
ii.	विद्युत, गैस और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण संजाल (Network) जिसमें उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सबस्टेशन, पाइपलाइन संजाल (Network) आदि शामिल हैं	04	207.13
iii.	प्रसंस्करण क्षेत्र का वातानुकूलन	21	238.99
iv.	छिड़काव, आग और धूम संसूचक के साथ अग्नि सुरक्षा प्रणाली ।	07	108.58
v.	अभिगम नियंत्रण और निगरानी प्रणाली	24	40.62
vi.	इंटरनेट संयोजकता (Internet connectivity) सहित दूरसंचार और अन्य संचार सुविधाएं।	05	49.27
		कुल:	1094.27

2.2.2 श्री राजीव बघेल, वरिष्ठ प्रबंधक और मैसर्स अर्थ बिजनेस पार्क एलएलपी के प्रबंधक श्री शाहिद खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्तावित सामग्री की आवश्यकता के बारे में बताया।

सुरेंद्र मलिक

2.2.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से सामग्री की प्रस्तावित सूची को मंजूरी दे दी, जो इस शर्त के अधीन कि सह-विकासकर्ता केवल अधिकृत डीलर से और राज्य सरकार के नियमों के अनुसार 'यमुना रेत' की खरीद करेगा। अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रतिनिधि को अनुबंध-1 के क्रम संख्या 28 पर प्रस्तावित 'संगमरमर का पत्थर' का 8 अंकों का एचएस कोड जमा करने का निर्देश दिया। अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.1 मैसर्स अर्शिया 3 PL सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

3.1.1 मैसर्स अर्शिया 3 पीएल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो अर्शिया उत्तरी एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड मुक्त व्यापार और भंडारण क्षेत्र, ग्राम इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, खुर्जा, जिला बुलंदशहर (उ.प्र.) में स्थित है, ने अपनी इकाई के एलओए दिनांक 30.10.2018 में एचएस कोड के साथ निम्नलिखित मर्दों को शामिल करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है:-

क्रमांक	इकाई द्वारा प्रस्तावित आईटीसी (एचएस) कोड	आइटम विवरण	डीजीएफ आयात/निर्यात/नीति
1.	4823	अन्य पेपर, पेपरबोर्ड, सेल्युलोज वैडिंग और सेल्युलोज फाइबर के जाले, आकार या आकार में कटे हुए; पेपर पल्प, पेपर, पेपरबोर्ड, सेल्युलोज वैडिंग या सेल्युलोज फाइबर के जाले के अन्य सामग्री।	मुफ्त -आयात और निर्यात
	48232000	फिल्टर कागज और पेपरबोर्ड।	मुफ्त -आयात और निर्यात
	48234000	स्व-रिकॉर्डिंग उपकरण के लिए मुद्रित रोल, चादरें और डायल।	मुफ्त -आयात और निर्यात
	48236100	बांस के:- ट्रे, व्यंजन, प्लेट, कप और जैसे, कागज या पेपरबोर्ड	मुफ्त -आयात और निर्यात
	48236900	ट्रे, व्यंजन, प्लेट, कप और इसी तरह के कागज या पेपरबोर्ड: -- अन्य	मुफ्त -आयात और निर्यात
	48237010	कागज लुगदी मोल्डेड ट्रे	मुफ्त -आयात और निर्यात
	48237020	लकड़ी लुगदी बोर्ड	मुफ्त -आयात और निर्यात
	48237030	आर्टवेयर और माउंडेड या लकड़ी के लुगदी के प्रेस किए गए सामानों के अलावा पेपर मैश से	मुफ्त -आयात और निर्यात

सुरेंद्र मलिक

	बनी वस्तुएं	
48237090	अन्य	मुफ्त -आयात और निर्यात
48239011	ब्रेल पेपर	मुफ्त -आयात और निर्यात
48239012	सेल्युलोज में तलवा बोर्ड या शीट	मुफ्त -आयात और निर्यात
48239013	पैकिंग और लपेटने वाला कागज	मुफ्त -आयात और निर्यात
48239014	सिगरेट फिल्टर टिप्स के लिए पेपर	मुफ्त -आयात और निर्यात
48239015	ध्वनि-विस्तारक (Loud speaker) यंत्र के लिए पेपर कोन	मुफ्त -आयात और निर्यात
48239016	चमड़े के जूते, चमड़े के वस्त्र और सामान के लिए कागज से बने प्रतिरूप (Patterns)	मुफ्त -आयात और निर्यात
48239017	परिधान और कपड़ों के सामान के लेख के लिए कागज से बने पैटर्न	मुफ्त -आयात और निर्यात
48239018	कागज या पेपर बोर्ड की शीट से बने उत्पाद, संसेचित, लेपित या प्लास्टिक से ढके हुए (थर्मोसेट रेजिन या उसके मिश्रण सहित या मेलामाइन, फिनोल या यूरिया फॉर्मल्लिहाइड युक्त रासायनिक सूत्रीकरण, इलाज एजेंटों या उत्प्रेरक के साथ या बिना), एक या एक से अधिक संचालन में एक साथ संपीड़ित .	मुफ्त -आयात और निर्यात
48239019	सजावटी टुकड़े टुकड़े	मुफ्त -आयात और निर्यात
48239021	प्री-पंच कार्ड; छिद्रित किनारों के साथ स्ट्रिप्स में मोनोटाइप और न्यूस्टेप पेपर, चौड़ाई में 15 सेमी से अधिक नहीं; टाइपराइटिंग पेपर को आकार में काटा जाता है और जैसे: ---- प्रीपंच कार्ड	मुफ्त -आयात और निर्यात
48239022	प्री-पंच कार्ड; छिद्रित किनारों के साथ स्ट्रिप्स में मोनोटाइप और न्यूस्टेप पेपर, चौड़ाई में 15 सेमी से अधिक नहीं; टाइपराइटिंग पेपर को आकार में काटा जाता है जैसे ---- छिद्रित किनारों के साथ स्ट्रिप्स में मोनोटाइप और न्यूस्टेप पेपर, चौड़ाई में 15 सेमी से अधिक नहीं	मुफ्त -आयात और निर्यात
48239023	प्री -पंच कार्ड; छिद्रित किनारों के साथ स्ट्रिप्स में मोनोटाइप और न्यूस्टेप पेपर, चौड़ाई में 15	मुफ्त -आयात और निर्यात

सुरेंद्र मलिक

		सेमी से अधिक नहीं; टाइपराइटिंग पेपर को आकार में काटा जाता है जैसे टाइपराइटिंग पेपर आकार में कटौती	
	48239030	प्री-पंच कार्ड; छिद्रित किनारों के साथ स्ट्रिप्स में मोनोटाइप और न्यूस्टेप पेपर, चौड़ाई में 15 सेमी से अधिक नहीं; टाइपराइटिंग पेपर को आकार में काटा जाता है जैसे- कागज, टुकड़े टुकड़े में कागज या कागज गार्सकेट से बने सादे या उभरा हुआ सील	मुफ्त -आयात और निर्यात
	48239090	प्री -पंच कार्ड; छिद्रित किनारों के साथ स्ट्रिप्स में मोनोटाइप और न्यूस्टेप पेपर, चौड़ाई में 15 सेमी से अधिक नहीं; टाइपराइटिंग पेपर को आकार में काटा जाता है जैसे- अन्य	मुफ्त -आयात और निर्यात
2.	8484	अन्य सामग्री या धातु की दो या दो से अधिक परतों के साथ संयुक्त धातु शीटिंग के गार्सकेट और समान जोड़; गार्सकेट और इसी तरह के जोड़ों के सेट या वर्गीकरण, रचना में भिन्न, पाउच, लिफाफे या इसी तरह की पैकिंग में रखे गए; मेकेनिकल सील।	मुफ्त -आयात और निर्यात
	84841010	अभ्रक धातु पैकिंग और गार्सकेट (धातु धुंध या तार के साथ प्रबलित अभ्रक बोर्ड के गार्सकेट को छोड़कर)।	मुफ्त -आयात और निर्यात
	84841090	अन्य	मुफ्त -आयात और निर्यात
	84842000	यांत्रिक	मुफ्त -आयात और निर्यात
	84849000	अन्य	मुफ्त -आयात और निर्यात
3.	8538	शीर्षक 8535, 8536 या 8537 के उपकरण के साथ पूरी तरह से या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त भाग।	मुफ्त -आयात और निर्यात
	85381010	औद्योगिक उपयोग के लिए	मुफ्त -आयात और निर्यात
	85381090	अन्य	मुफ्त -आयात और निर्यात
	85389000	अन्य	मुफ्त -आयात और निर्यात
4.	0712	सूखी सब्जियां, पूरी, कटी हुई, कटी हुई, दूटी हुई या पाउडर में, लेकिन तैयार नहीं।	मुफ्त -आयात और निर्यात
	07122000	प्याज	मुफ्त -आयात और निर्यात

सुरेंद्र मलिक

07123100	मशरूम, लकड़ी के कान (ऑरिक्युलिया प्रजाति I), जेली कवक (ट्रेमेल प्रजाति I) और ट्रफल्स: - जीनस लैगरिकस के मशरूम	मुफ्त -आयात और निर्यात
07123200	मशरूम, लकड़ी के कान (ऑरिक्युलिया प्रजाति I), जेली कवक (ट्रेमेल प्रजाति I) और ट्रफल्स: - लकड़ी के कान (ऑरिक्युलिया प्रजाति I)	मुफ्त -आयात और निर्यात
07123300	मशरूम, लकड़ी के कान (ऑरिक्युलिया प्रजाति I), जेली कवक (ट्रेमेल प्रजाति I) और ट्रफल्स:- ली कवक (ट्रेमेल प्रजाति)	मुफ्त -आयात और निर्यात
07123400	मशरूम, लकड़ी के कान (ऑरिक्युलिया प्रजाति I), जेली कवक (ट्रेमेल प्रजाति I) और ट्रफल्स:- शियाटेक (लैटिनस एडोइस)	
07123900	मशरूम, लकड़ी के कान (ऑरिक्युलिया प्रजाति), जेली कवक (ट्रेमेल प्रजाति I) और ट्रफल्स:- अन्य	
07129010	एस्पेरैगस	मुफ्त -आयात और निर्यात
07129020	सूखा लहसुन पाउडर	मुफ्त -आयात और निर्यात
07129030	सूखा लहसुन गुच्छे	मुफ्त -आयात और निर्यात
07129040	सूखा लहसुन	मुफ्त -आयात और निर्यात
07129050	कुठरा, अजवायन	मुफ्त -आयात और निर्यात
07129060	आलू	मुफ्त -आयात और निर्यात
07129090	अन्य	मुफ्त -आयात और निर्यात

3.1.2 मैसर्स अर्शिया 3 पीएल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक श्री रोशन लाल अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। इसके अलावा, मैसर्स टेलेक्ससेल इन्फ्रानेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के श्री महेंद्र लालवानी; मैसर्स इंसुलम ट्रेडिंग के श्री मुनीश शर्मा; मैसर्स एरोट्रस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के श्री सचिन; और मैसर्स यूनाइटेड सीयर प्राइवेट लिमिटेड के श्री गगन दीप सिंह; मैसर्स अर्शिया 3पीएल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सभी ग्राहक भी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

3.1.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से इकाई के एलओए में प्रस्तावित मर्दों को शामिल करने का अनुमोदन किया।

मद संख्या 4: एसईजेड इकाइयों के एलओएस के विलय का प्रस्ताव:-

सुरेंद्र मलिक

4.1: मैसर्स टू द न्यू प्राइवेट लिमिटेड

4.1.1 मैसर्स टू द न्यू प्राइवेट लिमिटेड ने एलओए संख्या 10/50/2018-ईजेड/3574 दिनांक 27.03.2019 इकाई-द्वितीय के एलओए संख्या 05/11/2010- इकाई- I प्रोजेक्ट/7159 दिनांक 21.09.2010 में विलय के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ये दोनों इकाइयां गोल्डन टायर इंप्राटेक प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस एसईजेड, प्लॉट नंबर 8, सेक्टर-144, नोएडा (यूपी) में स्थित हैं।

इकाई ने एलओए के विलय के बाद संशोधित समेकित अनुमान प्रस्तुत किए हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

क्रमांक	विवरण (5 साल के लिए)	संशोधित अनुमान (रुपये लाख में)
i.	निर्यात का अनुमानित एफओबी (FOB) मूल्य	90295.76
ii.	विदेशी मुद्रा बहिर्गमन	6000.00
iii.	एनएफई (NFE) कमाई	84295.76
iv.	आयातित पूंजीगत सामान	3250.00
v.	स्वदेशी पूंजीगत सामान	2050.00
vi.	स्वदेशी इनपुट सेवाएं	5600.00
vii.	रोज़गार	1240 संख्या

4.1.2 इकाई ने यह भी उल्लेख किया है कि इकाइयों के प्रस्तावित विलय के बाद, उत्तराधिकारी इकाई (अर्थात् इकाई-I) निम्नलिखित सेवा गतिविधियों में संलग्न होगी:-

एलओए के विलय के बाद सेवा गतिविधियां	प्रासंगिक सीपीसी कोड
सॉफ्टवेयर विकास, डिजिटल परिवर्तन, उत्पाद इंजीनियरिंग, अनुभव डिजाइन, वीडियो ओटीटी पूर्ति, डिजिटल विपणन, क्लाउड प्रबंधित सेवाएं, आंकड़े अभियांत्रिकी, कृत्रिम खुफिया और यंत्र अधिगम और क्लाउड प्रवास।	84210, 84220, 84230, 84240, 84250, 84310, 84320, 84330, 84390, 84400,

4.1.3 समिति ने पाया कि यह विलय एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 19(2) के परंतुक 4 के अनुसार होगा, अर्थात् "बशर्ते यह भी कि अनुमोदन समिति दो या दो से अधिक इकाइयों के अनुमोदन पत्रों के विलय के प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है एक ही कंपनी या फर्म की इस शर्त के अधीन कि ये इकाइयां एक ही विशेष आर्थिक क्षेत्र में आती हैं और विलय के बाद, शुद्ध विदेशी मुद्रा की गणना के लिए ब्लॉक

सुरेंद्र मलिक

अवधि उस इकाई के उत्पादन की शुरुआत की तारीख से होगी जो पहले शुरू हुई थी और आय कर छूट की अवधि पहली इकाई के संचालन की शुरुआत की तारीख से मानी जाएगी।]

4.1.4 श्री विष्णु कुमार गुप्ता, एवीपी, श्री औरंग मितल, अधिकृत प्रतिनिधि और मेसर्स दू द न्यू प्राइवेट लिमिटेड के एएम श्री रिपु दमन सिंह शेखावत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव को समझाया। प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि इस विलय के लिए प्रबंधन का निर्णय संचालन, लागत अनुकूलन, बेहतर नियंत्रण और निगरानी और संसाधनों की पूरिंग को समेकित करना था। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने इकाई-1 के संबंध में 1 अप्रैल 2020 से आयकर अधिनियम की धारा 10 AA के तहत आयकर छूट का दावा करने के अपने अधिकार को पहले ही माफ कर दिया है। इकाई-2 ने शुरू से ही धारा 10 ए के तहत कभी लाभ नहीं लिया क्योंकि वित्त वर्ष 2019-20 में उस इकाई में घाटा हुआ था।

4.1.5 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से, SEZ नियम, 2006 के नियम 19(2) के परंतुक 4 के अनुसार, एलओए संख्या 10/50/2018-एसईजेड/3574 दिनांक 27.03.2019 यूनिट-द्वितीय के एलओए संख्या 05/11/2010-प्रोज/7159 दिनांक 21.09.2010 यूनिट-1 में विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह विलय इस शर्त के अधीन है कि विलय के बाद शुद्ध विदेशी मुद्रा की गणना के लिए ब्लॉक अवधि इकाई-1 के उत्पादन की शुरुआत की तारीख से होगी जो कि 18.03.2011 है, जो पहले शुरू हुई थी, और आयकर छूट की अवधि होगी इकाई-1 के संचालन की शुरुआत की तारीख से माना जाता है।

मद संख्या 5: निदेशक में परिवर्तन के लिए सूचना:

5.1: मेसर्स कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीव्यू एसईजेड)

5.1.1 मेसर्स कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर - 135 में सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस एसईजेड में स्थित अपनी दो इकाइयों के संबंध में कंपनी के निदेशकों में बदलाव के लिए सूचना प्रस्तुत की है। नोएडा (उ.प्र.), जैसा कि नीचे दिया गया है:-

पिछले निदेशक	वर्तमान/संशोधित निदेशक
1. श्री रामकुमार राममूर्ति	1. श्री रामशेषन कोठरमण
2. श्री रामशेषन कोठरमण	2. श्री नारायणन टी.
3. श्री नारायणन टी.	3. श्री राजेश नांबियार
	4. श्री शांतनु राजेंद्र झा

सुरेंद्र मलिक

5.1.2 मैसर्स कोग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक श्री पार्थसारथी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और निदेशकों में बदलाव के बारे में बताया।

5.1.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के संदर्भ में कंपनी के निदेशकों में पूर्वोक्त परिवर्तनों पर ध्यान दिया। समिति ने इकाई के प्रतिनिधि को श्री राजेश नाबियार और श्री शांतनु राजेंद्र झा के पैन कार्ड और पासपोर्ट/आधार कार्ड की प्रतियां जमा करने का निर्देश दिया।

अनुपूरक कार्यसूची मद 01: इकाई के क्षेत्र को आंशिक रूप से हटाने का प्रस्ताव:

1.1: मैसर्स कंडुएंटे बिजनेस सर्विसेज इंडिया एलएलपी।

1.1.1 मैसर्स कंडुएंटे बिजनेस सर्विसेज इंडिया एलएलपी, एक एसईजेड इकाई, जो प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा (यूपी) में सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस एसईजेड में स्थित है, ने 152928 वर्ग फुट के अपने कुल स्वीकृत क्षेत्र से '18910 वर्ग फुट 9 वीं मंजिल, भवन संख्या 5' के एक क्षेत्र को आंशिक रूप से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इकाई ने उपरोक्त क्षेत्र के आत्मसमर्पण के लिए डेवलपर मैसर्स सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी 'अनापति प्रमाण पत्र' (NOC) दिनांक 29.12.2022 की प्रति प्रस्तुत की है। इकाई ने सूचित किया है कि क्षेत्र में कमी के कारण जनशक्ति और निर्यात अनुमानों में कोई बदलाव नहीं होगा।

1.1.2 समिति ने पाया कि इकाई ने वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान INR में भुगतान के एवज में DTA में 376.80 लाख रुपये की सेवाएं बेची हैं, जो एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2(z) (iii) का उल्लंघन है।

1.1.3 श्री प्रसाद पी वी, मैसर्स कंडुएंटे बिजनेस सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ कर प्रबंधक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि सेवाओं की ऐसी डीटीए बिक्री वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान हुई थी और भुगतान भारतीय रुपये में प्राप्त हुआ है।

1.1.4 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से '9वीं मंजिल, भवन संख्या 5' में 18910 वर्ग फीट क्षेत्र को आंशिक रूप से हटाने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इकाई हटाए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट अधिकारी से 'अदेयता प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त को वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान 376.80 लाख

सुरेंद्र मलिक

File No. 10/06/2022-SEZ

रुपये की सेवाओं की डीटीए बिक्री पर विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने और निर्णय लेने का अधिकार दिया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

अरविपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त